

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1588/2007/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट-तृतीय, वृत्त द्वितीय, राज. जयपुर

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स शिवम् स्टील्स
जयपुर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित ::

श्री एन.के.बैद,
उप-राजकीय अभिभाषक
श्री अलकेश शर्मा
अभिभाषक

...अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से


निर्णय दिनांक: 26.08.2014

निर्णय

यह अपील सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-तृतीय, वृत्त-द्वितीय, राज. जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 25/15/आरएसटी/अपील्स-चतुर्थ/1997-98/जेपीई में पारित दिनांक 27.09.2006 के विरुद्ध पेश की गई है।


प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 9.11.1997 को वाहन संख्या आर.जे.-14 जी/2047 को मैसर्स हिमकुन्दन स्टील री-रोलिंग मिल्स के प्रवेश द्वार पर चेक किया। परिवहनित माल के सम्बन्ध में माल प्रभारी से दस्तावेज मांगे जाने पर उनके द्वारा एक कांटापर्ची व अपूर्ण चालान पेश किया। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त दस्तावेजों की जांच पर पाया कि चालान पर से विरुद्ध 'डी' फार्म एवं दर के अलावा अन्य विवरण यथा कीमत आदि बिल्टी में नहीं लिखी हुई है व चालान जयपुर की फर्म शिवम स्टील द्वारा जारी किया गया था। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने सन्देह के आधार पर राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 78 (5) के अन्तर्गत शास्ति रु. 30,780/- आरोपित कर आदेश दिनांक 9.11.1997 पारित किया। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 9.11.97 से क्षुब्ध होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् आरोपित शास्ति अपास्त कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.09.2006 पारित किया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश से असन्तुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त चेकिंग वाहन में लदे माल के सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर



माल प्रभारी ने एक कांटापर्ची व अपूर्ण चालान पेश किया। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त दस्तावेजों की जांच पर पाया कि चालान पर से विरुद्ध 'डी' फार्म एवं दर के अलावा कीमत आदि बिल्टी में नहीं लिखी हुई है व चालान जयपुर की फर्म शिवम स्टील द्वारा जारी किया गया था। कर निर्धारण अधिकारी को दस्तावेजों पर सन्देह होने पर चालान जारी करने वाली फर्म मैसर्स शिवम् स्टील के यहां जांच की गई। उनका कथन है कि मैसर्स शिवम् स्टील की जांच पर बहियों में कोई कर योग्य माल (स्क्रेप) नहीं पाया गया, इसलिए चालान स्वतः ही गलत एवं मिथ्या प्रमाणित हो जाता है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने पुंनः साझेदार फर्म को अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत नोटिस जारी किया तथा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया। उनका कथन है कि जारी नोटिस की पालना में प्रस्तुत किये गये उत्तर से प्रकट हुआ कि प्रत्यर्थी व्यवहारी की लेखा पुस्तकों में कोई कर योग्य माल नहीं था फिर भी उन्होंने जो चालान बनाया व माल के साथ भेजा उसमें 'sale again 'D' form व अधूरा पेश करके मिथ्या घोषणा की है। कर निर्धारण अधिकारी ने मिथ्या दस्तावेजों से किए गए विक्रय पर माल की कीमत रु. 153888/-पर अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत शास्ति रु. 30,780/- आरोपित की है, जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त किया है, जो अविधिक है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।


अप्रार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि मैसर्स बालाजी इण्डस्ट्रीज प्रोडक्ट लिमिटेड, जयपुर ने मैसर्स नगर सेठ शिप ब्रोकर, भावनगर से बिल नम्बर 859 दिनांक 5.11.97 के जरिए रु. 1,36,907/- का एम. एस. स्क्रेप खरीदा तथा उक्त माल मैसर्स बालाजी इण्डस्ट्रीज प्रोडक्ट लिमिटेड, जयपुर ने प्रत्यर्थी व्यवहारी को रु. 153888.40 बिल संख्या 318 दिनांक 7.11.79 एस टी 17 के विरुद्ध रिसेल लिखकर विक्रय कर दिया गया, इस हेतु कर रु. 6155.60 को डेबिट नोट बना कर दिया गया। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मैसर्स बालाजी इण्डस्ट्रीज प्रोडक्ट लिमिटेड, जयपुर से प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच किए बिना ही शास्ति आरोपित की गई जो अविधिक है। उनका कथन है कि माल कर चुका होने के कारण करापवंचन का अभियोग ही नहीं बनता है। उन्होंने बताया कि कारण बताओ नोटिस के जवाब में सभी तथ्यों का खुलासा किया गया है, जो शास्ति पत्रावली पर उपलब्ध है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों पर समग्र रूप से विचार करने के पश्चात आरोपित शास्ति को अपास्त किया है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।



उभय पक्ष की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण के तथ्यानुसार दिनांक 9.11.1997 को वाहन संख्या आर.जे.-14 जी/2047 को मैसर्स हिमकुन्दन स्टील री-रोलिंग मिल्स के प्रवेश द्वार पर चेक किया। परिवहनित माल के सम्बन्ध में माल प्रभारी से दस्तावेज मांगे जाने पर उनके द्वारा एक कांटापर्ची व अपूर्ण चालान पेश किया। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त दस्तावेजों की जांच पर पाया कि चालान पर 'विरुद्ध 'डी' फार्म' एवं दर के अलावा अन्य विवरण यथा कीमत आदि बिल्टी में नहीं लिखी होने से करापवंचन की मंशा से माल का परिवहन करना मानते हुए अप्रार्थी व्यवहारी को नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत उत्तर में बताया गया है कि परिवहनित मा की कीमत इसलिए अंकित नहीं की गई कि गाड़ी खाली करके कांटा करवाकर वजन निकाल कर वास्तविक माल के वजन की कीमत बैठानी होती है। उन्होंने यह भी बताया कि वक्त जांच परिवहनित माल कर योग्य खाते में नहीं था, उक्त माल का टैक्स भरके बालीजी वालो ने खरीदा था। चालान "Against 'D' form" लिख कर तैयार किया गया था परन्तु बाद में भूल सुधार हेतु 4 प्रतिशत आर एस टी रु. 6155.60 का डेबिट नोट जारी किया, जिसकी फोटो पेश की गई, जो शास्त पत्रावली के पेज 19 पर उपलब्ध है।

प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने पर अप्रार्थी व्यवहारी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि माल विक्रय करने तक कोई बिल नहीं जारी किया गया तथा जो चालान बनाया व माल के साथ भेजा गया उसमें भी "Sale Against 'D' form" लिखा था, यदि कर योग्य माल स्टॉक में नहीं था तो 'डी' फार्म क्यों लिखा गया? 'डी' फार्म एक राजकीय प्रपत्र है जो कि कर योग्य माल की मौजूदगी की उद्घोषणा करता है और कर योग्य माल की बिक्री हेतु प्रयुक्त होता है। यह भी बताया गया है कि अप्रार्थी व्यवहारी की लेखा पुस्तकों में वक्त विक्रय कोई कर योग्य माल नहीं था। अतः मिथ्या दस्तावेजों एवं मिथ्या घोषणा कर विक्रय किये गये माल की कीमत पर अधिनियम की धारा 78(5) के अन्तर्गत शास्ति रु. 30,780/-कर निर्धारण आरोपित की गई है, वह पूर्णतः विधिक है। अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है, जो अविधिक है। फलतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.09.2006 को अपास्त करते हुए विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(सुनील शर्मा)
सदस्य